

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

क्रमांक— 09/26

बुरहानपुर, दिनांक 24.01.2026

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026

मैं सरिता जतारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर म.प्र. बीएनएसएसकी धारा 12(1), 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक 482/2025 बुरहानपुर दिनांक 08.05.2025 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती रीना पिपलिया के मातृत्व अवकाश उपरांत कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने से प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट करती हूँ, जो कि आदेश दिनांक से तत्काल प्रभावशील होगा।

1. पृष्ठ क्रमांक 09 पर कंडिका क्रमांक 06 के सम्मुख क्रमांक 01 को विलोपित किया जाता है। उसके स्थान पर नवीन क्रमांक 01 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है—

1	2	3	4
6.	श्रीमती रीना पिपलिया , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	—	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

2. पृष्ठ क्रमांक 13 पर अनुसूची "अ" की कंडिका 05 के उपरांत निम्नानुसार कंडिका-06 समाहित की जाती है—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
6.	श्रीमती रीना पिपलिया, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री भारत सिंह भेंवर, जे.एम.एफ. सी. बुरहानपुर	श्री राजू पन्दे, जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्री रवि वर्मा जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर	श्रीमती शीतल बघेल जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर

3. पृष्ठ क्रमांक 14 पर अनुसूची "ब" में पूर्व की कंडिका 02 में से आरक्षी केन्द्र वन विभाग तथा कंडिका 03 में से आरक्षी केन्द्र खकनार विलोपित किया जाता है। उसके स्थान पर कंडिका 04 के पश्चात नवीन कंडिका 05 समाहित किया जाता है।

अनुक्रमांक	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट
5.	आरक्षी केन्द्र :- 1. खकनार एवं वन विभाग तथा उनसे संबंधित चौकी।	श्रीमती रीना पिपलिया जे.एम.एफ.सी. बुरहानपुर

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म0प्र0)